



राजस्थान सरकार
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, गेल आई डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:- एफ 19 /सा.प्र./रा.आ./23


दिनांक:-13.01.2022

आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 09.01.2022 द्वारा कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरियन्ट के अत्यधिक संक्रामक होने तथा कोरोना महामारी के बढ़ते हुये मामलों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व के आदेशों को समेकित (Consolidate) करते हुये महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

अतः निर्देशानुसार, कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्व में जारी निर्देशों की निरन्तरता में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर एवं सर्किट बैंच- जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं समस्त जिला आयोग, राजस्थान में दिनांक 14.01.2022 से दिनांक 21.01.2022 तक के लिए नियत प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फेसिंग (Video Conferencing) माध्यम से की जाएगी।

1. सभी प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फेसिंग (वी.सी.) माध्यम से यथा- व्हाटसअप, जिट्सी से की जायेगी। वर्चुअल सुनवाई से संबंधित दिशा-निर्देश पूर्व से ही राज्य आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
2. वीडियो कॉन्फेसिंग हेतु मीटिंग नम्बर संबंधित अधिवक्तागण को आयोग के डेटाबेस में उपलब्ध उनके मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. या व्हाटसअप मैसेज के जरिये प्रेषित किये जायेंगे।
3. प्रकरणों की आगामी सुनवाई की दिनांक कॉन्फोनेट पर अविलम्ब अपडेट की जायेगी तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
4. राज्य आयोग व जिला आयोग के किसी सदस्य, कर्मचारी अथवा उनके साथ निवास करने वाले परिवार के किसी सदस्य को कोरोना से संबंधित सामान्य लक्षण दिखाई देने पर अथवा उनकी कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वे इस तथ्य की सूचना जरिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अविलम्ब कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा केन्द्र व राज्य सरकार की कोरोना गाईडलाईन की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करेंगे।
5. विधि प्रशिक्षु का राज्य आयोग में प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा।



(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांक:- एफ 19 /सा.प्र./रा.आ./24-34

दिनांक:-13.01.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच बीकानेर/ उदयपुर/जोधपुर एवं कोटा। (जरिये ई-मेल से)
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (समस्त) राजस्थान। (जरिये ई-मेल से)
7. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
8. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बार एसोसियेशन, (समस्त) राजस्थान द्वारा अध्यक्ष संबंधित जिला आयोग, राजस्थान।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. कॉजलिस्ट शाखा, राज्य आयोग।
11. नोटिस बोर्ड, राज्य आयोग।


(रजिस्ट्रार)